Azadi Ka Amrit Mahotsav

International Year of Cooperatives 2025

।। कार्यालय प्रधानाचार्य, राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर ।।

Office Telephone No. 0291-2570886, Fax No. 0291-2573886, E-mail ID-principal.rptc@gmail.com

क्रमांकः–व–15( )आरपीटीसी–जोध/सामा./2026/1039-52 दिनांकः–06.03.26

खुली निविदा सूचना–1/2025–26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर की बैण्ड प्लाटून में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों के लिये सफेद ठण्डी एवं लाल गर्म वर्दी मय जरी डेकोरेशन (बैण्ड वर्दी पैटर्न के अनुसार कोट व पेन्ट) निम्नलिखित विवरणानुसार सिलवाकर क्रय की जानी है, जिसके लिये दिनांक **12.03.2026** तक मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	नाम आईटम	अनुमानित राशि मय जीएसटी	निविदा शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि
1.	**लाल वर्दी आईटमों की सूची** 1. गर्म वर्दी कोट एवं पेन्ट (कोट पर जरी का कार्य) – 22 नग 2. पगड़ी लाल मय किलंगी व आर.पी. मोनोग्राम – 22 नग 3. बैण्ड मास्टर सैट (गोल्डन जरी) – 02 नग 4. जवान सोल्डर – 20 नग 5. जवान कमरबन्ध – 22 नग 6. जवान बेल्ट मय आर.पी. मोनोग्राम – 20 नग 7. साईड फोरमेशन केमल (गोल्डन जरी) – 22 नग 8. साईड बैज (राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर) – 22 नग 9. पी कैप मय जरी गोल्डन व आर.पी. मोनाग्राफ – 22 नग 10. नेम प्लेट मय गोल्डन जरी – 22 नग 11. टीएसएफ शूज काले मय मोजे – 22 नग 12. कोट के बटन राज. पुलिस पैटर्न अनुसार– 200 नग 13. बैण्ड मास्टर रैंक मय गोल्डन जरी– 04 नग **(सिलाई सहित क्रय करने बाबत्)**	8,20,842/–रू.	200/–रू.	16500/–रू.
2.	**सफेद वर्दी आईटमों की सूची** 1. ठण्डी वर्दी कोट एवं पेन्ट – 22 नग 2. पगड़ी नेवी ब्ल्यू मय किलंगी व आर.पी. मोनोग्राम – 22 नग 3. बैण्ड मास्टर सैट (गोल्डन जरी) – 02 नग 4. जवान सोल्डर – 20 नग 5. जवान कमरबन्ध – 22 नग 6. जवान बेल्ट मय आर.पी. मोनोग्राम – 20 नग 7. साईड फोरमेशन केमल (गोल्डन जरी) – 22 नग 8. साईड बैज (राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर) – 22 नग 9. ब्ल्यू कैप – 22 नग 10. नेम प्लेट मय गोल्डन जरी – 22 नग 11. कोट के बटन राज. पुलिस पैटर्न अनुसार– 200 नग 12. बैण्ड मास्टर रैंक मय गोल्डन जरी– 04 नग **(सिलाई सहित क्रय करने बाबत्)**			

अतः इच्छुक निविदादाता रूपये 200/–नगद जमा करवाकर निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तें दिनांक **06.03.2026** से कार्यालय समय में इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते है तथा अपनी निविदा, निविदा प्रपत्र मय दस्तावेज में अंकित कर बन्द लिफाफों में दिनांक 12.03.2026 को प्रातः 11.00 बजे

Signature valid

Digitally signed by Amit Jain
Designation : Principal
Date: 2026.03.06 12:48:26 IST
Reason: Approved

तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते है। निविदा प्रपत्र व निविदा की शर्तें राजस्थान लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.rajasthan.gov.in) एवं विभागीय वेबसाईट (http://police.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध है। प्राप्त निविदायें दिनांक **12.03.2026** को सांय 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। सम्पूर्ण निविदा या उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

स्वीकृत निविदा के निविदादाता को कुल कार्य की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करवानी होगी अथवा बिड प्रतिभूति राशि का समायोजन करते हुये जमा करवाई जा सकती है। प्रतिभूति बैंकर्स चैक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। जो प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर के नाम होगी।

(अमित जैन) ***IPS***
प्रधानाचार्य
राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र,
जोधपुर

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण एवं यातायात, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी मय आई.आर./एमबीसी/हाडी रानी महिला बटालियन/ कालीबाई बटालियन/पद्मिनी बटालियन/अमृता देवी बटालियन।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. पुलिस अधीक्षक, एस.सी.आर.बी. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट (http://police.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
8. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर।
9. कमाण्डेन्ट, आरपीटीसी जोधपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, निदेशालय, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को जरिये ई—मेल advt.dipr@rajpolice.gov.in पर प्रेषित कर निवेदन है कि खुली निविदा की सूचना को एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर प्रकाशित शुदा समाचार पत्र की एक प्रति दिनांक **12.03.2026** से पूर्व इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
11. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, आरपीटीसी जोधपुर।
12. सुबेदार क्वार्टर मास्टर, आरपीटीसी जोधपुर।
13. प्रभारी बैण्ड मास्टर, आरपीटीसी जोधपुर।
14. नोटिस बोर्ड, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर/आरपीटीसी जोधपुर।

प्रधानाचार्य
राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र,
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Amit Jain
Designation : Principal
Date: 2026.03.06 12:48:26 IST
Reason: Approved

Azadi Ka Amrit Mahotsav

International Year of Cooperatives 2025

प्रपत्र शुल्क : 200/–रूपये

।। कार्यालय प्रधानाचार्य, राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर ।।

परिशिष्ट ''अ''

(खुली निविदा प्रपत्र/2025–26)

निविदा सूचना क्रमांकः– दिनांकः–

1. राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर की बैण्ड प्लाटून में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों के लिये सफेद ठण्डी एवं लाल गर्म वर्दियां (बैण्ड वर्दी पैटर्न के अनुसार कोट व पेन्ट) सिलाई सहित क्रय करने के लिए निविदा :–

क.सं.	नाम लाल वर्दी आईटम	तादाद	विशेष विवरण
1.	गर्म वर्दी कोट एवं पेन्ट (कोट पर जरी का कार्य)	22 नग	कोट–पेन्ट लाल गर्म वर्दी का कपड़ा उच्च गुणवता एवं बाजार में प्रचलित प्रतिष्ठित कम्पनी का होना चाहिए। इस प्रशिक्षण संस्थान की बैण्ड वर्दी पैटर्न के अनुसार आवश्यक साज–सज्जा सामान सहित कम्पलीट वर्दी होगी।
2.	पगड़ी लाल मय किलंगी व आर.पी. मोनोग्राम	22 नग	
3.	बैण्ड मास्टर सैट (गोल्डन जरी)	02 नग	
4.	जवान सोल्डर	20 नग	
5.	जवान कमरबन्ध	22 नग	
6.	जवान बेल्ट मय आर.पी. मोनोग्राम	20 नग	
7.	साईड फोरमेशन केमल (गोल्डन जरी)	22 नग	
8.	साईड बैज (राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर)	22 नग	
9.	पी कैप मय जरी गोल्डन व आर.पी. मोनाग्राफ	22 नग	
10.	नेम प्लेट मय गोल्डन जरी	22 नग	
11.	टीएसएफ शूज काले मय मोजे	22 नग	
12.	कोट के बटन राज. पुलिस पैटर्न अनुसार	200 नग	
13.	बैण्ड मास्टर रैंक मय गोल्डन	04 नग	

क.सं.	नाम सफेद वर्दी आईटम	तादाद	विशेष विवरण
1.	ठण्डी वर्दी कोट एवं पेन्ट	22 नग	कोट–पेन्ट वर्दी का सफेद नेवी ब्ल्यू कपड़ा उच्च गुणवता एवं बाजार में प्रचलित प्रतिष्ठित कम्पनी का होना चाहिए। इस प्रशिक्षण संस्थान की बैण्ड वर्दी पैटर्न के अनुसार आवश्यक साज–सज्जा सामान सहित कम्पलीट वर्दी होगी।
2.	पगड़ी नेवी ब्ल्यू मय किलंगी व आर.पी. मोनोग्राम	22 नग	
3.	बैण्ड मास्टर सैट (गोल्डन जरी)	02 नग	
4.	जवान सोल्डर	20 नग	
5.	जवान कमरबन्ध	22 नग	
6.	जवान बेल्ट मय आर.पी. मोनोग्राम	20 नग	
7.	साईड फोरमेशन केमल (गोल्डन जरी)	22 नग	
8.	साईड बैज (राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर)	22 नग	
9.	ब्ल्यू कैप	22 नग	
10.	नेम प्लेट मय गोल्डन जरी	22 नग	

Azadi Ka Amrit Mahotsav

International Year of Cooperatives 2025

11.	कोट के बटन राज. पुलिस पैटर्न अनुसार	200 नग	
12.	बैण्ड मास्टर रैंक मय गोल्डन जरी	04 नग	

2. उक्त आईटम की दरें विशेष विवरण (Specification) के अनुसार प्रस्तुत की जायेगी।
3. आईटम विशेष विवरण (Specification) के अनुसार होने चाहिए तथा कपड़े व अन्य सामानों का सेम्पल टेक्निकल बिड के साथ प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर पर उपलब्ध करवाने होंगे।

निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :-..

डाक का पूर्ण पता :-..

दूरभाष/मोबाईल नम्बर मय ईमेल सहित :-..

निविदा जिसे प्रस्तुत करनी है :-**प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर**

4. सन्दर्भ :-खुली निविदा सूचना संख्या :-01/2025-26
दिनांक..............................जो..(समाचार पत्र का नाम) दिनांक में प्रकाशित हुई है।

उक्त वर्दी आईटम सिलवाकर क्रय करने के लिए दरें निम्न प्रकार पूर्ति कर प्रस्तुत करनी होगी :-

क्र. सं.	लाल वर्दी आईटम	तादाद	दर सिलाई सहित मय GST	कुल कीमत सिलाई सहित मय GST
1.	गर्म वर्दी कोट एवं पेन्ट (कोट पर जरी का कार्य)			
2.	पगड़ी लाल मय किलंगी व आर.पी. मोनोग्राम			
3.	बैण्ड मास्टर सैट (गोल्डन जरी)			
4.	जवान सोल्डर			
5.	जवान कमरबन्ध			
6.	जवान बेल्ट मय आर.पी. मोनोग्राम			
7.	साईड फोरमेशन केमल (गोल्डन जरी)			
8.	साईड बैज (राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर)			
9.	पी कैप मय जरी गोल्डन व आर.पी. मोनाग्राफ			
10.	नेम प्लेट मय गोल्डन जरी			
11.	टीएसएफ शूज काले मय मोजे			
12.	कोट के बटन राज. पुलिस पैटर्न अनुसार			
13.	बैण्ड मास्टर रैंक मय गोल्डन			

क्र. सं.	सफेद वर्दी आईटम	तादाद	दर सिलाई सहित मय GST	कुल कीमत सिलाई सहित मय GST
1.	ठण्डी वर्दी कोट एवं पेन्ट			
2.	पगड़ी नेवी ब्ल्यू मय किलंगी व आर.पी. मोनोग्राम			
3.	बैण्ड मास्टर सैट (गोल्डन जरी)			
4.	जवान सोल्डर			
5.	जवान कमरबन्ध			
6.	जवान बेल्ट मय आर.पी. मोनोग्राम			
7.	साईड फोरमेशन केमल (गोल्डन जरी)			
8.	साईड बैज (राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर)			
9.	ब्ल्यू कैप			
10.	नेम प्लेट मय गोल्डन जरी			
11.	कोट के बटन राज. पुलिस पैटर्न अनुसार			
12.	बैण्ड मास्टर रैंक मय गोल्डन जरी			

कुल राशि अंको में...

कुल राशि शब्दों में...

नोट :–

(i) दरें शब्दों एवं अंको दोनों रूप में लिखी जावें। दरों में कोई कांट–छांट एवं उपलेखन नही होवें।

(ii) **अस्पष्ट वाक्य जैसे :–** टैक्स पेड, कर सहित एज एप्लीकेबल का प्रयोग नही किया जावें।

5. हम निविदा सूचना संख्या...................दिनांक...................में वर्णित सभी शर्तो से तथा विभागीय शर्तो से सम्बन्धित परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "द" में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है तथा परिशिष्ट हस्ताक्षर शुदा संलग्न है।
6. हम सहमत है कि विभाग द्वारा निविदा सूचना/निविदा शर्तों में अंकित अवधि में समस्त कार्य कर तैयार सामान कार्यालय/विभाग को सुपुर्द कर दिया जावेगा।
7. हम सम्पुष्टि करते है कि निविदा प्रपत्र में अंकित दरें निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।
8. हमारा CGST, SGST, IGST पंजियन संख्या ....है।
9. हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वंय द्वारा प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।
10. हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में निविदा निरस्त योग्य है।
11. हम सम्पुष्टि करते है कि आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	दस्तावेज	विवरण
1.	बोली प्रपत्र शुल्क नकद रसीद/बैंकर चैक/डीडी नं.................दिनांक......................	**(हाँ/नही)**
2.	बोली प्रतिभूति राशि बैंकर चैक/डीडी नं.......................दिनांक....................................	**(हाँ/नही)**
3.	CGST, SGST, IGST रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति	**(हाँ/नही)**
4.	उद्यमिता ज्ञापन II अभि स्वीकृति	**(हाँ/नही)**

5.	बोलीदाता का प्राधिकृत प्रतिनिधि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	**(हाँ / नही)**
6.	आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड नम्बर की छायाप्रति	**(हाँ / नही)**

उपरोक्त बिन्दु संख्या 11 में अंकित संलग्नक दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नही, उसके सम्मुख "हाँ" या "नही" अंकित करना आवश्यक है, इसका दायित्व बोलीदाता का है तथा इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जायेगी।

12. हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की गई है।

नोट :–

(ए) उपरोक्त निविदा प्रपत्र एक बडे लिफाफे में उचित रूप से मोहरबन्द कर आईटम का नाम व नीचे फर्म का नाम एवं पता, मोबाईल नम्बर अंकित करें एवं **निविदा प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर के पते पर भेजी जावे।**

(बी) निविदा प्रपत्र भरकर मय आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक **12.03.2026 को प्रातः 11:00** बजे तक कार्यालय, प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में जमा करवा सकते है और प्राप्त **निविदायें दिनांक 12.03.2026 को सांय 03:00 बजे** उपापन समिति के सदस्यों एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।

(सी) यदि किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेगी तो निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

(डी) यदि एक ही प्रकार की गुणवत्ता के कपड़ों का रंग अलग–अलग हो तो एक ही दर अंकित की जावे। यदि रंग के आधार पर दरें अलग–अलग दी जाती है तो निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

(ई) कोट–पेन्ट वर्दी का सफेद नेवी ब्ल्यू कपड़ा एवं लाल वर्दी कोट व पेन्ट उच्च गुणवता एवं बाजार में प्रचलित प्रतिष्ठित कम्पनी का होना चाहिए। इस प्रशिक्षण संस्थान की बैण्ड वर्दी पैटर्न के अनुसार आवश्यक साज–सज्जा सामान सहित कम्पलीट वर्दी होगी। नमूना कार्यालय समय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है एवं सैम्पल निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(एफ) निविदादाता फर्म राजकीय विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए।

(जी) नियमानुसार भुगतान की जाने वाली राशि में से की जाने वाली कटौतियां यथा टी.डी.एस. इत्यादि काटकर ही भुगतान किया जावेगा। कटौतियां/सेवाकर कटौति का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर द्वारा जारी किया जावेगा।

(एच) सफल निविदादाता द्वारा इस प्रशिक्षण संस्थान में व्यक्तिशः उपस्थित होकर संस्थान के बैण्ड कर्मियों का नाप लेकर समस्त प्रकार की उपरोक्तानुसार बैण्ड वर्दीयां तैयार करनी होगी व जवानों को पहनाकर चैक करवाने व कमेटी के संतुष्ट होने के उपरान्त ही सप्लाई स्वीकार की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

।। कार्यालय प्रधानाचार्य, राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर ।।

निविदा सूचना क्रमांकः— दिनांकः—

खुली निविदा की सामान्य शर्ते

नोटः— निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा निविदा प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. **निविदा भरने की प्रकिया:—**निविदा सूचना में अंकित मुख्य शर्तें जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
2. विभिन्न श्रेणी के निविदादाताओं हेतु विशेष शर्ते :—

i. राजस्थान राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रस्तुत निविदा **दर** ही मान्य होगी एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत निविदा दर एक समान होने पर सुक्ष्म एवं लघु उद्योग को प्राथमिकता दी जावेगी।

ii. किसी भी आईटम की निविदा प्रस्तुत करने के लिए वे फर्मे पात्र मानी जावेगी जिन्हे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होना चाहिए।

iii. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

3- (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए निविदादाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण—पत्र (Registration Clearance Certificate)** :—

(i) कोई भी डीलर जो जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, उसकी निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। निविदादाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण—पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

5. निविदादाता निविदा एवं निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट—'द' पर अपने हस्ताक्षर उपरान्त, निविदा के साथ प्रस्तुत करें। यदि निविदाकार द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' प्रस्तुत नहीं किया गया है तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

6 **दरें** :—

(i) निविदा में दरें शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होनी चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) निविदा में दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी कार्यालय परिसर पर दी जाऐगी ।

(iii) निविदा में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

(iv) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी।

(v) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर बजट उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा। अतः निविदा में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त निविदा मानकर निरस्त की जा सकेगी।

7. RTPP Act 2012 और RTPP Rules 2013 के अनुसार निविदा/बोली प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

8. यदि कोई बोलीदाता सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने से विवर्जित (Debar) किया जा सकता है।

9. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सामान, भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपनाम (Sublet) पर नहीं देगा।

10. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की **अनर्हता** (Disqualification) होगी।

11. उपापन संस्था किसी बोली लगाने वाले को निरर्हित करेगी,यदि किसी भी समय यह पाई जाती है कि

(i) बोली लगाने वाले की अर्हताओं से सम्बन्धित प्रस्तुत सूचना असत्य या दुर्व्यपदेशन गठित करने वाली थी।

(ii) बोली लगाने वाले की अर्हताओं से सम्बन्धित प्रस्तुत सूचना सारवान रूप से गलत या अपूर्ण थी।

12. **दरों की तुलनाः–**

(i) भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम 1995 के अनुसार राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत क्रय वरीयता दी जावेगी।

(ii) भण्डार क्रय (राजस्थान के उधोगो को अधिमानता) नियम 1995 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई निविदादाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और निविदत्त मूल्य राजस्थान के उद्योगों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्योगों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।

(iii) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी

13. **बातचीत (Negotiation) :–**

(i) जहाँ तक संभव हो निविदाकारों से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वोधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

14 **निविदा की विधि मान्यताः**—दरों की वैद्यता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई निविदा (बोली) गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

15. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा ।

16 **स्पेसिफिकेशनः—**

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी आईटम निविदा एवं निविदा शर्तों से संबंधित परिशिष्ट में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क/सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होगी। प्रदाय किये गये आईटम की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय निविदादाताओ (बोलीदाताओं) के लिए अंतिम एंव मान्य होगा ।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली आईटम/**वस्तुऐ/सेवाऐं/संकर्म** निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता (बोलीदाताओं) की होगी तथा निविदादाता (बोलीदाताओं) को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) निविदादाता द्वारा निविदा सूचना में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत की जावेगी अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

17- **माल की सप्लाई** :—

(i) निविदादाता (बोलीदाता) सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए निविदादाता उतरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

(ii) यदि निविदादाता (बोलीदाता) द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) **सेवा/माल की आपूर्ति** 15 दिवस के अन्दर की जायेगी।

18- **सुपुर्दगी अवधि** (Delivery Period)

(i) जिस निविदादाता (बोलीदाता) की निविदा स्वीकार की जायेगी वह निविदा सूचना/शर्तो में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके

कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा।

19- **बोली प्रतिभूति (Bid Security) धरोहर राशि :–**

(i) राजस्थान की लघु एवं कोटेज इकाई के अलावा अन्य निविदादाताओं (बोलीदाताओं) द्वारा निविदा के साथ निविदा सूचना में अंकित मात्रा अनुसार निर्धारित रूप बोली प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

(ii) **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय (Refund of Bid security)**:–असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, निविदा पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाएगी।

(iii) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई निविदाओं के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरूद्व समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।

(v) **बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security)**:–धरोहर राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाएगा :–

(क) जब निविदादाता निविदा खुलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है ।

(ख) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है ।

(ग) जब निविदादाता निविदा स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

(ड़) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

(च) स्वीकृत निविदा के निविदादाता को कुल कार्य की राशि 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में बिड प्रतिभूति राशि समायोजन करते हुये जमा करवानी होगी। प्रतिभूति बैंकर्स चैक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। जो प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर के नाम होगी।

1. **करार एवं सुरक्षा राशि (Agreement and Performance Security)** :–

(अ) निविदा सूचना में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक हैं। अनुबन्ध करार के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया जावेगा। करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं करने पर निविदा निरस्त योग्य है।

(ब) निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नांकितानुसार मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगाः–

1. राशि रूपये 10.00 लाख तक	रूपये 500/–
2. राशि रूपये 10.00 लाख से अधिक किन्तु 50.00 लाख तक	रूपये 1000/–
3. राशि रूपये 50.00 लाख से अधिक	रूपये 5000/–

(स) करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए निविदा स्वीकार की गई है, उसके लिए निम्नांकितानुसार प्रतिभूति राशि निर्धारित रूप में जमा करानी होगी:–

(i) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये, होगी और संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समझ लम्बित है, के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी।

(ii) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधो के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रकिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्व कोई देय बकाया (**Outstanding dues**) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (**Refund**) किया जायेगा।

(क) एक समय पर खरीद के **मामले, सेवा आपूर्ति** में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(iv) <u>**सुरक्षा राशि का समपहरण**</u> (**Forfeiture of Security Deposit**):–सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (**Forfeiture**) किया जायेगा:–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो ।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब निविदादाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी ।

(vi) निविदादाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें:–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में निविदा एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

20. भुगतानः–

(i) **सफल निविदादाता द्वारा माल/सेवा/सकर्म** के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियो में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

(ii) **माल/सेवा** के भुगतान करने पर किये गऐ प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जावेगे।

(iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जायेगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब विहित परीक्षण कर लिये जायेगें तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

(vi) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

21. विभाग के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या निविदा सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

22 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा जोधपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।

23 निविदा प्रस्तुत करने के बाद निविदा के सम्बन्ध में निविदादाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

24 मूल निविदा प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वय निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।

25 निविदा के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।

26 फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

प्रधानाचार्य
राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र
जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Amit Jain
Designation : Principal
Date: 2026.03.06 12:48:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20880234
eSign 1.0

मैने/हमने क्र.स. 1 से 26 तक उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर,
(निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

।। कार्यालय प्रधानाचार्य, राज. पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर ।।

परिशिष्ट ''द''

निविदा सूचना क्रमांकः– दिनांकः–

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत डीलर/डीलर हूँ/हैं । मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्टों को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है । मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बयाना/प्रतिभूति राशि, गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर में उल्लेखित राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Azadi Ka Amrit Mahotsav

International Year of Cooperatives 2025

Signature valid

Digitally signed by Amit Jain
Designation : Principal
Date: 2026.03.06 12:48:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पताः–प्रधानाचार्य राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर रोड जोधपुर, ईमेल–principal.rptc@rajpolice.gov